रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1971/वैशाख 8, 1893

No. 62] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1971/VAISAKHA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 28th April 1971

No. 16(3)-Plant(B)/69.—On having received representation from the rubber growers that the minimum price of Rs. 415 per 100 kgs. of RMA Grade I natural rubber, which was recommended by the Tariff Commission in their Report (1967) and adopted by Government, was uneconomical, Government had in their letter No. 16(4)-Plant(B)/68, dated the 9th December, 1968 requested the Tariff Commission under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to—

(i) determine the minimum price for the various grades and qualities of raw rubber,

(ii) advise whether it was desirable to adopt centres other than Cochin for notified prices; and

(iii) determine the fair price for latex concentrates of 61 per cent to 65 per cent D.R.C. and also, if necessary for latex of higher concentrations.

The Commission submitted its report wherein the following recommendations have been made:—

(1) The efficiency of the holdings was relatively more than that of the estates during the period from 1952-53 to 1967-68.

(2) We share the view of the growers and consumers of rubber that large variations in prices are not in the interest of either of them and that a fair degree of price stability is essential.

(3) For some time to come the demand for rubber from tyre and other industries is likely to be at a substantially higher level than its domestic production. It is, therefore, essential to provide suitable incentives including a remunerative price to the rubber growers especially in the holdings sector, to encourage the internal production of rubber both by expanding the area to the extent practicable but mainly by intensification of cultivation. This will also lead to increase in efficiency, thus tending to progressively narrow down the existing disparity between the internal and external prices of rubber.

(4) There is scope for progressive reduction in cost even after making some allowances for increase. We are of the view that with effect from 1970 onwards, subject to other conditions being mainly the same, there might be reduction in cost of the order of 2½ per cent per annum.

(5) A fair minimum price, nearest trading centre, of Rs. 520 per 100 kgs. for RMA I grade rubber is recommended for the current year. As for the next two years, this figure may be reduced by 2½ per cent per annum.

(6) In the interest of rubber economy there is need for increasing the rate of replantation subsidies over the existing figures in both the sectors *viz.*, estates and holdings.

(7) No modifications of the existing differentials for P.L.C. grades are recommended.

(8) It is not considered advisable to recommend modifications of the long standing differentials of Rs. 38.58 per 100 kgs. of D.R.C. for 35 per cent latex and Rs. 94.80 per 100 kgs. of D.R.C. for concentrated latex of 51 per cent to 60 per cent and above.

(9) It is suggested that prices recommended by us be considered as applicable to ex-plantation upto the nearest district headquarters. If the product is to be transported to greater distances the producer may charge additional suitable freight.

2. Government have taken note of view of the Commission in recommendations (1) to (3).

3. Since the rubber industry is in the developing stage and incentives for further development are being given to the growers, any reduction in price will cause psychological set back among the planters and thus lead to disincentive for new planting and replanting of rubber. Government do not consider it feasible to accept the Commission's recommendation (4) specially when there appears to be no scope for reduction in costs at present.

4. As regards recommendation (5), Government have already accepted the Commission's recommendation and fixed the price of RMA Grade I at Rs. 520/- per 100 kgs. with suitable differentials for other grades and prices are notified. However, Government do not propose to effect reduction in prices during the following year at present.

5. Recommendation (6) is under examination by Government.

6. Government accept recommendations (7) to (9).

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1971

सं० 16(3)-प्लांट (बी)/69.—रबड़ उपजकर्ताओं से ये अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कि आर०एम०ए० ग्रेड 1 प्राकृतिक रबड़ की 415 रु० प्रति 100 किलोग्राम की न्यूनतम क़ीमत, जिसकी सिफारिश टैरिफ आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (1967) में की गयी थी और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था, अलाभप्रद है, सरकार ने अपने पत्र सं० 16(4)-प्लांट (बी)/68 दिनांक 9 दिसम्बर, 1968 में आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12(घ) के अन्तर्गत टैरिफ आयोग से अनुरोध किया कि वह :—

(1) कच्चे रबड़ के विभिन्न ग्रेडों तथा गुणों के लिए न्यूनतम कीमतों का निर्धारण करें ;

(2) यह सलाह दें कि क्या अधिसूचित कीमतों के लिए कोचीन के अलावा अन्य केन्द्रों को स्वीकार करना वांछनीय है ; और

(3) 61 प्रतिशत से 65 प्रतिशत डी आर० सी० के लेटैक्स सान्द्रणों के और यदि आवश्यक हो तो अपेक्षाकृत अधिक सान्द्रण के लेटैक्स के लिए उचित कीमतों का निर्धारण करें ।

आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गयी हैं :—

(1) वर्ष 1952–53 से 1967–68 तक की अवधि के दौरान बागों की कुशलता से जोतों की कुशलता अपेक्षाकृत अधिक थी ।

(2) हम रबड़ के उपजकर्ताओं और उपभोक्ताओं की राय से सहमत है कि कीमतों में भारी अन्तर उन में से किसी के भी हित में नहीं हैं और कीमतों में उचित सीमा तक स्थिरता आवश्यक है ।

(3) आगामी कुछ समय के लिए टायर तथा अन्य उद्योगों से रबड़ की मांग उसके स्वदेशी उत्पादन की अपेक्षा काफी अधिक ऊंचे स्तर पर रहने की संभावना है । अतः व्यवहार सीमा तक क्षेत्र के विस्तार परन्तु मुख्य रूप से खेती के सघनीकरण दोनों द्वारा स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ उपजकर्ताओं, विशेषतः जोत-क्षेत्र वालों, को उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है, जिन में लाभकारी कीमतें शामिल है । इससे कुशलता में वृद्धि होगी और इस प्रकार रबड़ की आन्तरिक तथा विदेशी कीमतों के बीच में विद्यमान अन्तर उत्तोत्तर कम हो जायेगा ।

(4) वृद्धि के लिए कुछ गुंजाइश रखने के पश्चात भी लागत मे उत्तरोत्तर कमी के लिए गुंजाइश है । हमारा यह मत है कि 1970 से आगे लागत में 2–1/2 प्रतिशत वार्षिक की कमी हो सकती है, बशर्ते कि अन्य सब परिस्थिति यथावत रहें ।

(5) चालू वर्ष के लिए आर० एम० ए० 1 ग्रेड रबड़ के लिये निकटतम व्यापार केन्द्र पर 520 रु० प्रति 100 किलो ग्राम की उचित न्यूनतम कीमत की सिफारिश की जाती है । आगामी दो वर्षों के लिए इसमें 2–1/2 प्रतिशत वार्षिक की कमी की जा सकती है ।

(6) रबड़ अर्थ व्यवस्था के हित में, दोनों क्षेत्रों अर्थात् बागान तथा जोतों के पुर्नोपण सम्बन्धी सहायता की दर में वर्तमान आंकड़ों की अपेक्षा वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(7) पी० एल० सी० ग्रेडों के लिए वर्तमान अवकलों के संशोधन की कोई सिफारिश नहीं की जाती ।

(8) 35 प्रतिशत लेटैक्स के लिए डी०आर०सी० की 38.58 रु० प्रति 100 किलोग्राम और 51 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तथा उससे अधिक के सांद्रित लेटैक्स के लिए डी० आर० सी० के 94.80 रु० प्रति 100 किलोग्राम के दीर्घ काल से चले आ रहे अवकलों के संशोधन की सिफारिश करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

(9) यह सुझाव दिया जाता कि हमारे द्वारा सिफारिश की गई क़ीमतें बागान के बाहर से निकटतम जिला मुख्यालय तक लागू समझी जाए । अगर उत्पाद को अधिक दूरी तक ले जाना है तो उत्पादक अतिरिक्त उचित भाड़ा ले सकता है ।

2. सरकार ने सिफारिश (1) से (3) तक में आयोग के विचारों को नोट कर लिया है ।

3. चूंकि रबड़ उद्योग विकास की अवस्था में है और उपजकर्ताओं को आगे विकास के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे है, अतः क़ीमतों में किसी कमी से बागान स्वामियों को मानसिक रूपमें ठेस पहुंचेगी और इस प्रकार रबड़ का रोपण और पुनर्रोपण हतोत्साहित होगा, अतः सरकार आयोग की सिफारिश (4) को स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं समझती विशेषतः जबकि इस समय लागतों में कटौती की कोई गुंजाइश प्रतीत नही होती ।

4. सिफारिश (5) के सम्बन्ध में, सरकार ने आयोग की सिफारिश पाते ही इस्वीकार कर ली है और अन्य ग्रेडों के लिए उपयुक्त अवकलनों के साथ आर० एम० ए० ग्रेड 1 की कीमत 520रु० प्रति 100 किग्रा० निर्धारित कर दी और कीमते अधिसूचित कर दी गई थी । परन्तु सरकार का आगामी वर्ष के दौरान मूल्यों में कमी करने का कोई इस समय विचार नहीं है ।

5. सिफारिश (6) सरकार के विचाराधीन है ।

6. सरकार (7) से (9) तक सिफारिशें स्वीकार करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संम्बद्धों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को समान्य जानकारी के लिये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सी० एस० रामचन्द्रन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD. NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971